(161)

संख्याः– 4975 / ।।–2012–04(04) / 2011

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून, दिनांक 23 मार्च, 2012

विषयः **40 सं0 निर्माणाधीन ए0आई0बी0पी0 योजनाओं हेतु केन्द्रांश + राज्यांश के रूप में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–769 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1 सामान्य, दि0–29.02.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित सिंचाई लाभ–कार्यक्रम के अन्तर्गत 40 सं0 निर्माणाधीन योजनाओ के निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 10–22 / 2011–एम0आई0 दिनांक 15.12.2011 एवं पत्रसंख्या 41(1) / पी0एफ0–1 / 2011–1091, दिनांक 14.12.2011 द्वारा स्वीकृत केन्द्रांश ₹ 7523.25 लाख के कम में शासनादेश संख्या 4264 / ।।–201104(04) / 2011 दिनांक 01.02.2012 द्वारा अवमुक्त किए गए केन्द्रांश ₹ 3555.56 लाख + राज्यांश ₹ 444.44 लाख, कुल धनराशि ₹ 4000.00 लाख के पश्चात् उक्त योजनाओं के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की शेष अवधि हेतु केन्द्रांश ₹ 2311.12 लाख व राज्यांश ₹ 288.88 लाख अर्थात् कुल ₹ 26,00,00,000 / – (₹ छब्बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय करने हेतु उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का विवरण	योजना की लागत	लागत के सापेक्ष निर्धारित		स्वीकृत केन्द्रांश	स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश	स्वीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त केन्द्रांश	पूर्व में अवमुक्त राज्यांश	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि	
			केन्द्रांश	राज्यांश					केन्द्रांश	राज्यांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	40 सं0 योजना	15225.06	13533.39	1691.67	7523.25	835.92	3555.56	444.44	2311.12	288.88
									योग–2600.00	

1. धनराशि उन्ही योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिनका अनुमोदन एवं जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
2. योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
3. अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन / लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।
5. कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तदपरान्त ही कार्य करायें।
6. आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।
8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।
9. एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः.....2

10. कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।
11. योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाय ।
12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–20 के लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0195 ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें (75% के0स0)–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–204/XXVII(2)/2012, दिनांक 21 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्याः–4975(1)/ ।।–2012–04(04)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. सीनियर, ज्वांईट कमिश्नर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।